"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 20, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भावना चंदवानी पति श्री मनोज चंदवानी, उम्र 46 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 03, ब्लाक नं. 28, नेहरूनगर पश्चिम, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. ज्योति मोटियानी पिता श्री के. डी. मोटियानी था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 2-6-1994 को श्री मनोज चंदवानी पिता श्री नंदलाल चंदवानी के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती भावना चंदवानी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती भावना चंदवानी पति श्री मनोज चंदवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. ज्योति मोटियानी पिता श्री के. डी. मोटियानी निवासी-174/ए, सेक्टर सोनीगिरी भोपाल तहसील व जिला भोपाल, मध्यप्रदेश	श्रीमती भावना चंदवानी पति श्री मनोज चंदवानी निवासी-ब्लाक नं. 28, प्लाट नं. 03, नेहरूनगर पश्चिम भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूर्णिमा साहू पति श्री मोती लाल साहू, उम्र 48 वर्ष, निवासी-प्लाट नं.-216/26, मधुबन नगर, बोरसी दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम पूर्णिमा साहू दर्ज है जो सही है. मेरे पति श्री मोतीलाल साहू के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश पूर्णिमा देवी साहू दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पूर्णिमा साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती पूर्णिमा साहू पति श्री मोतीलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पूर्णिमा देवी साहू (Purnima Devi Sahu)
पति श्री मोती लाल साहू (Moti Lal Sahu)
निवासी- प्लाट नं. 216/26, मधुबन नगर
बोरसी दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पूर्णिमा साहू (Purnima Sahu)
पति श्री मोती लाल साहू (Moti Lal Sahu)
निवासी- प्लाट नं. 216/26, मधुबन नगर
बोरसी दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश वडयालकर आत्मज श्री गजानंद राव वडयालकर, निवासी-एफ. 404, ऋषभ सीटी प्राईम, पोटिया चौक दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम रमेश सोनी था जो मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बैंक संबंधी अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम रमेश वडयालकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रमेश वडयालकर आत्मज श्री गजानंद राव वडयालकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रमेश सोनी (Ramesh Soni)
आत्मज श्री गजानंद राव वडयालकर
निवासी- एफ. 404, ऋषभ सीटी प्राईम,
पोटिया चौक दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रमेश वडयालकर
(Ramesh Wadyalkar)
आत्मज श्री गजानंद राव वडयालकर
निवासी- एफ. 404, ऋषभ सीटी प्राईम,
पोटिया चौक दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर , दिनांक 20 नवम्बर 2015

प्ररुप-चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए.]

क्रमांक/51/वाचक-1/2015.—यह कि श्री रमेश कुमार अग्रवाल आ. स्व. साधुराम अग्रवाल निवासी 15/198 ब्रम्ह रोड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21-12-2015 को विचार के लिए लिया जायेगा.

अतः मैं आर. एन. सिंह, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21-12-2015 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	सुजानी देवी ट्रस्ट, 15/198 ब्रम्ह रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	604326.00 (छः लाख चार हजार तीन सौ छब्बीस) रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

आर. एन. सिंह,
पंजीयक .

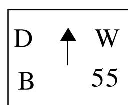
अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वन मण्डल, दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्रमांक/624.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पार्श्व में अंकित बीट वर्ग आकार का हैमर परिक्षेत्र नेलसनार के अंतर्गत परिसर नैमेड़ को बीट हैमर जारी किया गया था. परिसर रक्षक श्री संजू राम कवासी, नैमड़ द्वारा दिनांक 10-09-2011 को अपने बीट भ्रमण के दौरान अपने थैला में रखा हैमर अचानक गिर कर गुम गया. परिक्षेत्र अधिकारी नेलसनार का पत्र क्रमांक 867 दिनांक 21-11-2014 द्वारा बीट हैमर गुमने की सूचना पुलिस थाना, जांगला जिला बीजापुर में दर्ज करने की सूचना इस कार्यालय को दिया गया है.

वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा बीट हैमर को भण्डार पंजी से अपलेखित किया जाता है. हैमर की कीमत स्टोर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रुपये 250.00 (दो सौ पचास रुपये) मात्र श्री संजू राम कवासी, परिसर रक्षक नैमेड़ के देय स्वत्वों से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है, तथा लापरवाही के कारण बीट हैमर गुम जाने के फलस्वरूप उनको चरित्रावाली चेतावनी दी जाती है.



उक्त आकृति के हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, यदि उक्त हैमर का प्रयोग करते पाया गया तो उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

के. आर. बढ़ाई,
भा. व. से.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक /परिसमापन /2015/1015 .—प्राथमिक कटहल उद्योग सहकारी समिति मर्या. सरगवां पंजीयन क्रमांक 2074 दिनांक 04-09-2001 के संचालक मण्डल की बैठक में समिति के कार्य एवं व्यवसाय नहीं कर पाने की स्थिति में सर्व सहमति से समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इस कार्यलय के निरीक्षण में यह स्थिति सही पायी गई है.

अत: मैं ए. के. मिंज, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, अम्बिकापुर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक कटहल उद्योग सहकारी समिति मर्या. सरगवां को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सुखना राम, स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-11-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

अम्बिकापुर , दिनांक 18 नवम्बर 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक /परिसमापन /2015/1017 .—प्राथमिक बीज एवं वृक्ष उद्योग सहकारी समिति मर्या. सरगवां पंजीयन क्रमांक 1852 दिनांक 26-10-1994 के संचालक मण्डल की बैठक में समिति के कार्य एवं व्यवसाय नहीं कर पाने की स्थिति में सर्व सहमति से समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इस कार्यलय के निरीक्षण में यह स्थिति सही पायी गई है.

अत: मैं ए. के. मिंज, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅं, अम्बिकापुर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक बीज एवं वृक्ष उद्योग सहकारी समिति मर्या. सरगवां को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सुखना राम, स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

यह आदेश आज दिनांक 18-11-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया

अम्बिकापुर , दिनांक 18 नवम्बर 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक /परिसमापन /2015/1018 .—प्राथमिक सिसलाना उद्योग सहकारी समिति मर्या. सरगवां पंजीयन क्रमांक 2073 दिनांक 04-09-2001 के संचालक मण्डल की बैठक में समिति के कार्य एवं व्यवसाय नहीं कर पाने की स्थिति में सर्व सहमति से समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इस कार्यलय के निरीक्षण में यह स्थिति सही पायी गई है.

अत: मैं ए. के. मिंज, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅं, अम्बिकापुर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सिसलाना उद्योग सहकारी समिति मर्या. सरगवां को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सुखना राम, स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

यह आदेश आज दिनांक 18-11-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. मिंज,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा , दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. /उपंक/पंजीयन /2015/1099 .—जय भोले स्वायत्त सहकारिता मर्या. पण्डरिया विकासखण्ड पण्डरिया, जिला-कबीरधाम पंजीयन क्रमांक 01 का छ. ग. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 (क्र. 02 सन् 2000) की धारा 04 के तहत पंजीयन किया गया था. छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/2839/डी/49/21-अ/प्रारू./छ. ग./14 दिनांक 25 मार्च 2014 द्वारा छ. ग. स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 द्वारा छ. ग. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत सहकारिता पंजीयन निरस्त कर उनकी उपविधियां और उपनियम छ. ग. सहकारी समितियां 1960 के प्रावधानों के तहत पाये जाने पर उक्त स्वायत्त सहकारिता का सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयन करने का प्रावधान किया गया है.

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंजीयन/2014/3522 नया रायपुर दिनांक 17-07-2014 द्वारा निर्देशित किया गया है कि छ. ग. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के प्रावधान अनुसार पंजीकृत समितियों के संबंध में छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही हेतु स्वायत्त सहकारिताओं से प्रस्ताव आमंत्रित कर परीक्षण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावें. -

1. आमसभा के कार्यवाही विवरण की प्रति.
2. आमसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या एवं विषय के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की जानकारी.
3. उपविधि की दो प्रतियां (स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित).
4. स्वायत्त सहकारिता से छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधान अनुसार सहकारी समिति के रूप में परिवर्तन के लिए आमसभा में उपविधियों के अनुमोदन की चार प्रतियां.
5. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति.
6. पूर्व वित्तीय वर्ष/वर्षो के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों की प्रति.
7. संचालक मण्डल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रतिनिधियों आदि के निर्वाचन का दिनांक एवं उनके कार्यकाल का अंतिम तिथि तथा उसका विवरण.
8. अन्य सुसंगत दस्तावेजों जो परीक्षण के लिए आवश्यक है.

उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर एवं आमसभा में संशोधित उपविधियों के छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने पर अधिनियम तथा नियम के विपरीत नहीं पाये जाने पर संस्था का पंजीयन किया जावेगा एवं स्वायत्त सहकारिता अंतर्गत मूल पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त कर सहकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत कर नया पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं.

पंजीयक द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने हेतु पत्र क्रमांक/उपंक/पंजीयन/2014/834 कवर्धा दिनांक 25-08-2014 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. जय भोले स्वायत्त सहकारिता मर्या. पण्डरिया विकासखण्ड पण्डरिया जिला-कबीरधाम पंजीयन क्रमांक 01 के अध्यक्ष, द्वारा स्वायत्त सहकारिता को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया. पुन. पत्र क्रमांक/उपंक/पंजीयन/215 कवर्धा दिनांक 19-02-2015 छ. ग. स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 के प्रकाश में उनको यह अवगत कराते हुए कि आपके द्वारा स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत उपविधि के तहत किसी भी प्रकार का कार्य करना अवैधानिक एवं दण्डनीय होगा. छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिसके जवाब में समिति का पत्र दिनांक 04-04-2015 को कार्यालयीन आवक क्रमांक 603 आवेदन पत्र द्वारा समिति को संचालन में रूचि न होने एवं समिति को सहकारी अधिनियम 1960 अंतर्गत पंजीयन न कराने का लेख कर पंजीयन निरस्ती हेतु लेख है इससे स्पष्ट होता है, कि जय भोले स्वायत्त सहकारिता मर्या. पण्डरिया विकासखण्ड पंडरिया जिला-कबीरधाम पंजीयन क्रमांक 01 के संचालकों/सदस्यों को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत समिति का पंजीयन कराने में कोई रूचि एवं इच्छा नहीं है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला-कबीरधाम छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का उपयोग करते हुए स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत जय भोले स्वायत्त सहकारिता मर्या. पण्डरिया विकासखण्ड पंडरिया जिला-कबीरधाम पंजीयन क्रमांक 01 को छ. ग. स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 के तहत पंजीयन निरस्त करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूं. एवं समाप्त निगमित निकाय की सम्पत्तियों, अस्तियों, पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रभार लेने के लिए सहकारिता विस्तार अधिकारी पण्डरिया को शासकीय समानुदेशिती (offcial assinee) नियुक्त किया करता हूं. शासकीय समानुदेशिती 03 माह की कालावधि के भीतर अस्तियों की वसूली और दायित्वों का निपटान कर सूचित करेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27-11-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र कुमार ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.